जिला योजना

जिला योजना के अन्तर्गत तीन उपयोजनाएं संचालित हैं।

1. जिला योजना
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
3. आत्मा योजना

1.जिला योजना - जिला योजना के अन्तर्गत दो उपयोजनाएं संचालित हैं।

(i) सघनन गन्ना विकास योजना -इसके अन्तर्गत तीन कार्यक्रम संचालित हैं जिसका उद्देश्य उन्नतशील प्रजातियों का विस्तार एवं अधिक उत्पादन है।

(a) उन्नतशील बीज उत्पादन कार्यक्रम - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शोध केन्द्रो से केन्द्रक बीज मंगाकर बीज संवर्धन हेतु प्रगतिशील किसानों के खेतों पर आधार एवं प्राथमिक पौधशालाएं रखाई जाती हैं तथा पौधशालाधारक कृषकों को आधार पौधशाला पर 1000 रु0 तथा प्राथमिक पौधशाला पर 500 रु0 प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाता है। कृषक अनु0जा0/अनु0ज0जा0 का होने पर अनुदान की धनराशि दूनी हो जाती है।

(b) बीज भूमि उपचार कार्यक्रम - गन्ने की फसल को रोग एवं कीटों से सुरक्षा पहुंचाने हेतु गन्ना समितियों के माध्यम से आपूर्तित कीटनाशी रसायनों की खरीद पर कृषकों को 2500 TCD या क्रय क्षमता वाली मिल क्षेत्रों में 25% तथा अधिक क्षमता वाली मिल क्षेत्रों में 12.5% अनुदान दिया जाता है।

(c) पेडी प्रबन्धन - पेड़ी फसल की अधिक पैदावार लेने हेतु फसल सुरक्षा रसायनों की समिति के माध्यम से खरीद पर उपरोक्तानुसार अनुदान दिया जाता है।

(ii) अन्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना - गन्ना कृषकों की आवागमन तथा ढुलाई व्यवस्था की सुगमता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाता है जिसकी लागत का 60% सरकार द्वारा तथा 40% कार्यदायी संस्थाओं/चीनी मिलों द्वारा वहन किया जाता है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - इसके अन्तर्गत गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता में वृद्धि हेतु निम्नवत् कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं

(i) अभिजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम- शोध केन्द्रों एवं प्रगतिशील कृषकों के फार्मों पर अभिजनक बीज का उत्पादन कराया जाता है तथा बीज वितरण पर उत्पादक को 100 रु0/कु0 प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

(ii) गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम- उपरोक्तानुसार तैयार अभिजनक बीजों से प्रगतिशील किसानों के यहाँ आधार पौधशालाएं तैयार की बीज पौधशाला का बीज सामान्य बुआई हेतु कृषकों में वितरण कराया जाता है। जाती हैं। इसके पश्चात् प्राथमिक पौधशाला का बीज सामान्य बुआई हेतु कृषकों में वितरण कराया जाता है। आधार पौधशाला से बीज वितरण पर 50 रु0/कु0 तथा प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर 25 रु0/कु0 प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। एक किसान को आधार पौधशाला हेतु अधिकतम 25 कु0 एवं प्राथमिक पौधशाला हेतु अधिकतम 50 कु0 बीज दिया जा सकता है। अधिकतम दो वर्ष के पश्चात् लाभार्थी कृषक बदल दिये जाते हैं।

(iii) बीज यातायात- अभिजनक बीज के यातायात हेतु 15 रु0/कु0 तथा आधार बीज के यातायात हेतु 7 रु0/कु0 या वास्तविक जो कम हो की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है।

(iv) प्रक्षेत्र प्रदर्शन- कृषकों को गन्ने की आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिश्रित खेती, पेडी प्रबन्धन, टेंच विधि, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबन्धन, समन्वित पोषण प्रबन्धन आदि सम्बन्धी 0.5 हे0 के प्रदर्शन प्लाट रखे जाते हैं तथा प्रति प्रदर्शन 15000 रु0 अनुदान दिये जाते हैं। अनुदान का 50% सामग्री के रूप में तथा 50% चेक द्वारा दिया जाता है। लघु एवं सीमान्त/अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के कृषकों के लिए प्लाट आकार 0.2 हैक्टेयर तक कम किया जा सकता है तथा अनुदान भी तद्नुसार कम किया जाता है।

(v) कृषि यन्त्र वितरण- कृषि के वितरण पर 50% अनुदान दिया जाता है जो मानवचालित क्षेत्रों पर अधिकतम 500 रु0, बैलचालित यंत्रों पर अधिकतम 2500 रु0 तथा टैक्टर/शक्ति चालित यंत्रों पर अधिकतम 30000 रु0 हो सकता है। टेंच प्लाटर, टेंच ओपेनर, रोटावेटर, टिलर, हैरो, पावर स्प्रेयर आदि यंत्रों के वितरण को प्राथमिकता दी जाती है।

(vi) माइक्रोन्यूट्रियंट वितरण- भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म तत्वों युक्त उर्वरकों/रसायनों के वितरण पर 50% या अधिकतम 1000 रु0/हैक्टेयर अनुदान दिया जाता है।

(vii) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला- सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमि में कमी के आंकलन हेतु चीनी मिलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु लागत का 50% अधिकतम 20 लाख रु0 अनुदान दिया जाता है।

(ix) कृषकों का प्रशिक्षण- कृषकों के प्रशिक्षण हेतु प्रति कृषक 125 रु0 कम की व्यवस्था।

(x) उत्पादकता पुरूस्कार- जिला, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर अधिक उत्पादन लेने वाले कृषकों को उत्पादकता पुरूस्कार दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त विभागीय एवं चीनी मिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

3. आत्मा योजना - इसके अन्तर्गत कृषकों का अन्तर राज्यीय/राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट, फार्मस्कूल का गठन, प्रक्षेत्र प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार आदि की व्यवस्था है।

(i) प्रक्षेत्र प्रदर्शन- रु0 4000/प्रदर्शन 0.4 है0 एफ0टू0एफ0 प्रदर्शन- रु0 1500/

(ii) एक्सपोजर विजिट- (अधिकतम 10 दिन)

अन्तर्राज्यीय - 600 रु0/कृषक/दिन
राज्यस्तरीय - 300 रु0/कृषक/दिन
जनपदस्तरीय - 600 रु0/कृषक/दिन

(iii) प्रशिक्षण-

अन्तर्राज्यीय - 1000 रु0/कृषक/दिन,
राज्यस्तरीय - 750 रु0/कृषक/दिन
जनपदस्तरीय - 400 रु0/कृषक/दिन